राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0जयपुर।

क्रमांकःई–26/राजप/प्री–पीजी 09/2011/ दिनांकः

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः–प्री–पीजी में चयनित चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कन्वेनर, कन्ट्रोल पी.जी. एडमिशन बोर्ड–2011, प्रिन्सीपल एवं कन्ट्रोलर, राजकीय मेडीकल कॉलेज एवं चिकित्सालय समूह कोटा ने अपने पत्र क्रमांक 32 दिनांक 13.04.2011 के साथ सेवारत कोटे के तहत प्री–पी.जी. में चयनित चिकित्सकों की सूचि भिजवाकर सूचि में उल्लेखित चिकित्सकों को दिनांक 31.05.2011 को सम्बन्धित मेडीकल कॉलेजों में उपस्थित होने हेतु कहा है। अतः आपके अधीन जिलों में प्री–पीजी 2011 में चयनित (इन सर्विस कोटे के तहत) चिकित्सकों को दिनांक 31.05.2011 को आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 30.05.2011 को कार्यमुक्त करें।

अति0निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर

क्रमांकःई–26/राजप/प्री–पीजी 09/2011/287 दिनांकः 17/5/2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. कन्वेनर, कन्ट्रोल पी.जी. एडमिशन बोर्ड–2011, प्रिन्सीपल एवं कन्ट्रोलर, राजकीय मेडीकल कॉलेज एवं चिकित्सालय समूह कोटा को भेजकर लेख है कि पी.जी. की द्वितीय कौंन्सिलिंग होने के पश्चात् चयनित चिकित्सकों की चयन सूचि भिजवाने का श्रम करें ताकि चयनित चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जा सके।
3. प्रभारी, सरवर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को नेट पर तुरन्त डालने का श्रम करें।

अति0निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर